

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)वित्त-1(1)/आय व्ययक/2016/
कोषाधिकारी,
अजमेर, राजस्थान।

दिनांक: 24.10.2017

(स्वीकृति संख्या 389 /2017-18)
विषय : वर्ष 2017-18 में नगर पालिका नसीराबाद, के निजी निक्षेप खाते में राशि
हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति
क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/15592-612 दिनांक: 18.10.2017 में अंकितानुसार
नगर पालिका नसीराबाद के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 30.00 लाख (अक्षरे तीस लाख मात्र) निम्न
बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे:-

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(45) - विशेष अनुदान

[01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से - प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - राज्य निधि

राशि रुपये 30.00 लाख

उक्त हस्तान्तरित की जाने वाली राशि में से माह अक्टूबर, 2017 में राशि रुपये 23.34 लाख, माह
नवम्बर, 2017 में राशि रुपये 3.33 लाख व माह दिसम्बर, 2017 में राशि रुपये 3.33 लाख प्रतिमाह
विभागीय स्वीकृति के अनुसार माह के अंतिम कार्य दिवस को नगर पालिका नसीराबाद के निजी निक्षेप
खाते में हस्तान्तरित की जावे।

भवदीय

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, अजमेर, राजस्थान।
06. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नसीराबाद।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/15592

दिनांक 18-10-17

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर पालिका, नसीराबाद को वर्ष 2017-18 में चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य के नगर पालिका, नसीराबाद को वर्ष 2017-18 में माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 (09 माह) तक के लिये राशि रुपये 30.00 लाख (अक्षरे तीस लाख मात्र) का भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विकलेय मद	बजट प्रावधान		
मांग संख्या - 29	स्वीकृत प्रावधान	—	77312.79 लाख
2217 - शहरी विकास	अतिरिक्त प्रावधान	—	0.00 लाख
80 - सामान्य	कुल स्वीकृत प्रावधान	—	77312.79 लाख
192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	पूर्व स्वीकृति पर व्यय	—	58605.90 लाख
(45) - विशेष अनुदान	इस स्वीकृति पर व्यय	—	30.00 लाख
[01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से - प्रतिबद्ध			
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	शेष	—	18676.89 लाख

माहवार राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नगर परिषद/पालिका	श्रेणी	वर्ष 2017-18 में आवंटन योग्य सकल राशि	माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 हेतु राशि	माह अक्टूबर 2017 में हस्तांतरण योग्य राशि	माह नवम्बर 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि	माह दिसम्बर 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	कौष कार्यालय, अजमेर (1091)						
1	नसीराबाद	4	40.00	30.00	23.34	3.33	3.33
	योग		40.00	30.00	23.34	3.33	3.33

उपरोक्त राशि निदेशक वित्त (बजट) विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका, नसीराबाद के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171701117 दिनांक 16.10.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/15593-612 दिनांक 18-10-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि उक्तानुसार राशि सम्बन्धित नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में माह के अन्तिम कार्य दिवस को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में आरयूआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेगी।

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, अजमेर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्तानुसार के कालम संख्या 6 में अंकित राशि माह अक्टूबर 2017 की अविलम्ब एवं कालम संख्या 7 में अंकित राशि माह नवम्बर 2017, कालम संख्या 8 में अंकित राशि माह दिसम्बर 2017 में माह के अन्तिम कार्य दिवस को नगर पालिका नसीराबाद के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि प्रत्येक माह की एक तारीख को राशि आहरित की जा सके। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नगर पालिका कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार चैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित होने पर भुगतान करे। कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक माह कालम संख्या 6, 7 एवम् 8 में अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित नहीं की जावे। प्रतिमाह यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि पूर्व में इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर कटौतियों की राशि सम्बन्धित मदों में जमा करा दी गयी है।
16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नसीराबाद को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या 6, 7 एवम् 8 में आवंटित राशि का संस्था के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण करवाकर आगामी माह की 07 तारीख तक प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें। साथ ही अगला चैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
18. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
20. प्रभारी, वेबसाईट/प्रभारी ई-गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. सुरक्षित पत्रावली।


 (हुलास राय पवार)
 मुख्य लेखाधिकारी